न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

भिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
364/2024	16/10/2024	03/04/2025

– उनवान –

भगतसिंह पुत्र सुजान सिंह आयु 53 साल जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 23 ए, नन्दपुरी मार्ग, नन्दपुरी, 22 गोदाम, जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

छाजूराम पुत्र श्रवणलाल
देवनारायण पुत्र श्रवणलाल
धौलीदेवी पुत्री श्रवणलाल
बद्रीनारायण पुत्र ज्वाराराम
वंशी पुत्र ज्वाराराम
रामप्यारी देवी पुत्री श्रवणलाल
रामेश्वर पुत्र ज्वाराराम
सरदाराराम पुत्र ज्वाराराम
साधुराम पुत्र ज्वाराराम
समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासीयान घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
0 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री सत्यपाल गुर्जर – 1,2,4 लगायत 9

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि ग्राम बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में खसरा नम्बर 140 रकबा 0.7600है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी साधिकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 139 रकबा 1.5200है0 ग्राम बासना से होते हुये प्रार्थी के खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 140 स्थित बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में दक्षिण से उत्तर की ओर कदीमी से आते जाते रहे है। जो राजस्व रिकार्ड नक्शें में अंकित है। जिसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थी करने को स्वतन्त्र है। प्रार्थना पत्र के संलग्न राजस्व नक्शें मे हरी लाईन द्वारा स्पष्टता दर्शित किया गया है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन के एकमात्र रास्ते पर जबरन पुख्ता निर्माण कर बन्द करने पर आमादा हो गये। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140 में आने जाने हेतु ग्राम बासना में स्थित खसरा नम्बर 139 मे से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रार्थी की ग्राम बासना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 140 मे आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शित रास्ते के अनुसार राजस्व नक्शें में 30 फीट चौडा गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुर्जर ने वकालतनामा व जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति कर निवेदन किया कि अप्रार्थी/मिनउत्तरदाता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 1.5200है0 के लगवा कोई सार्वजनिक रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अंकित नही है। खसरा नम्बर 140 व खसरा नम्बर 138 एक ही खातेदार की भूमिया है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 140 में जाने हेतु खसरा नम्बर 138 से ही रास्ता खसरा नम्बर 140 में जाता

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला–जयपुर

था। ऐसी स्थिति में पूर्व जो कदमी रास्ता खसरा नम्बर 140 मे जाता था उसके विपरीत किसी अन्य खातेदार की भूमि से रास्ता कायम करवाने का कोई कानूनी हक अधिकार प्रार्थी को नही है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 167 है। प्रार्थी ने बिना सरकारी रास्ता बनाये ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी भूमाफिया किस्म के व्यक्ति है तथा अनावश्यक दबाव बनाकर प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते है। खसरा नम्बर 142 जो 140 के पास ही स्थित है। के लिये अलग प्रार्थना पत्र उनवान भगतसिंह बनाम कालूराम मुकदमा नं0 365/2024 प्रस्तुत कर अलग भूमि खसरा नम्बर 134 में से रास्ता चाहा है। जबकि यदि खसरा नम्बर 140 में रास्ता आता है तो खसरा नम्बर 142 मे वहा से रास्ता लिया जा सकता था। प्रार्थी खसरा नम्बर 167 व 169 जो सरकारी भूमि है जिसमें से रास्ता प्राप्त कर सकता है तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी वही से आ जा रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से किसी प्रकार से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140 व खसरा नम्बर 142 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 169 व खसरा नम्बर 167 ग्राम बासना व खसरा नम्बर 133 व 134 ग्राम जिन्दवास के उत्तर कोने से कच्ची मोरम डाल व ग्रेवल रास्ता निकाल लिया है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता होने के बावजूद प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र किसानों को परेशान करने के उद्देश्य से बदनियती पूर्वक पेश किया है। जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 3 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 3 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं0 10 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/208 दिनांक 17.01.25 द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बासना में खसरा नम्बर 140 रकबा0.76है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 139 रकबा 1.52है0 में से रास्ता चाह रहा है। जो अप्रार्थीगण 1–9 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि रहन दर्ज है। खसरा नम्बर 139 रकबा 1.52है0 में पश्चिम सीमा के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर लम्बाई 162 मी0 व चौडा 9 मी0 में रास्ता चाह रहा है। जो नजरी नक्शे में दर्शाया गया है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बासना में स्थित खसरा नम्बर 140 मे आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शित रास्ते के अनुसार राजस्व नक्शें में 30 फीट चौडा गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने के आदेश प्रदान करें।

वकील अप्रार्थी सं0 1,2, 4 लगायत 9 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140 व खसरा नम्बर 142 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 169 व खसरा नम्बर 167 ग्राम बासना व खसरा नम्बर 133 व 134 ग्राम जिन्दवास के उत्तर कोने से कच्ची मोरम डाल व ग्रेवल रास्ता निकाल लिया है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता होने के बावजूद प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र किसानों को परेशान करने के उद्देश्य से बदनियती पूर्वक पेश किया है। जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट मौके पर चालू रास्ते को छिपाकर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में पुनः रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित होगा।

अतः बहस वकील उभय पक्षों की सुनने व मनन करने एवं पैरोकार सरकार का जवाब तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बासना, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.76है0 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 139 रकबा 1.52है0 में से सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर लम्बाई 162 मीटर व चौडा 6 मीटर रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थी की खातेदारी से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 की खातेदारी से लगते हुए उनके हिस्से में दी जाकर तरमीम की जाने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 के राजस्व नक्शे मे उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ–जयपुर